

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बाराबंकी वन प्रभाग, बाराबंकी
पत्रांक -5740/14-4-4 दिनांक, बाराबंकी 25/04/2024

सेवा में,

निदेशक,
शेरेवुड कालेज ऑफ इंजीनियरिंग
रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी धरसनिया
बाराबंकी।

विषय:-

जनपद बाराबंकी में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत एवं उ० प्र० प्राविधिक विश्व विद्यालय लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त शेरेवुड कालेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी के मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के Ex Post facto के अन्तर्गत लखनऊ-फैजाबाद मार्ग पर किमी० 18.00-19.00 के मध्य दायी पटरी पर 0.063404 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष के पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal No.-FP/UP/ Others/29655/2017

सन्दर्भ:-

भारत सरकार का पत्र संख्या 8बी०/यू०पी०/०६/६८/२०२१/एफ०सी०/४८८ दिनांक 17.01.2024 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ० प्र० लखनऊ का पत्रांक 1998/11-सी-FP/UP/Others/ 29655/2017 दिनांक 09.02.2024

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जो इस कार्यालय के साथ आपको भी पृष्ठांकित है जिसमें भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक 8बी०/यू०पी०/०६/६८/२०२१/एफ०सी०/४८८ दिनांक 17.01.2024 से विषयक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या 2, 3 व शर्त संख्या 4 एवं शर्त संख्या 8 के अनुपालन हेतु धनराशियों का आंकलन निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	शर्त संख्या	मद	धनराशि (रु० में)	भुगतान किये जाने सम्बन्धी विवरण
1	2	3	4	5
1	2/3	0.126808 हे० में जैदपुर वन ब्लाक में पौधों के रोपण एवं 10 वर्ष अनुरक्षण हेतु यथा संशोधित आवश्यक धनराशि।	257409.00	प्रयोक्ता एजेन्सी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से
2	4	0.063404 संरक्षित वन भूमि का भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2011 FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 तथा पत्रांक संख्या 5-3/2011 FC(Vol-I) दिनांक 22.03.2022 के अनुसार संशोधित (N.P.V.) शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि (रु० 9.57780 लाख प्रति हे०)।	60727.00	
3	8	भारत सरकार के पत्रांक 8बी०/यू०पी०/ ०६/६८/२०२१/एफ०सी०/४८८ दिनांक 17.01.2024 अमें शर्त संख्या 8 के अनुपालन में दण्डात्मक धनराशि का आंकलन।	886614.00	
योग-			12,04,750.00	

(रु० बारह लाख चार हजार सात सौ पचास मात्र)

(P.T.O.)

1000

(2)

अतः भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया आप सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या 2, 3 के अनुपालन में 0.126808 हे० में जैदपुर वन ब्लाक में पौधों के रोपण हेतु धनराशि रू० 2,57,409.00 (रू० दो लाख सत्तावन हजार चार सौ नौ मात्र) एवं शर्त संख्या 4 के अनुपालन में 0.063404 हे० वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि रू० 60,727.00 (रू० साठ हजार सात सौ सत्तइस मात्र) तथा शर्त संख्या 8 के अनुपालन में दण्डात्मक धनराशि रू० 8,86,614.00 (आठ लाख छियासी हजार छः सौ चौदह मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू० 12,04,750.00 (रू० बारह लाख चार हजार सात सौ पचास मात्र) प्रयोक्ता एजेन्सी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से प्रतिपूर्ति पौधा रोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा फण्ड) में जमा करने का कष्ट करें तथा साथ ही भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 17.01.2024 में उल्लिखित समस्त शर्त संख्या 1 से 26 तक की अनुपालन आख्या तथा आवश्यक प्रमाण पत्र, ई-चालान द्वारा जमा की गयी धनराशि की मूल प्रति चार प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे विषयक प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

निर्धारित प्रपत्र

Conditions No.	Conditions	Status of compliance
----------------	------------	----------------------

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(आकाश दीप बघावन)
प्रभागीय वनाधिकारी

बाराबंकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

संख्या- / 14-4-4 , दिनांकित।

1. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि वन संरक्षक सरयू वृत्त उ०प्र० अयोध्या को सूचनार्थ प्रेषित।

(आकाश दीप बघावन)
प्रभागीय वनाधिकारी

बाराबंकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

एनएड बाराबंकी में लखनऊ-अयोध्या मार्ग पर किमी० 18.00-19.00 मे मध्य दायी पटरी पर शेरुड कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी धरसनियों बराबंकी द्वारा कालेज में प्रवेश हेतु आने जाने के मार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित 0.063404 हे० संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष बाराबंकी रेंज के अन्तर्गत जैदपुर वन ब्लाक में 0.126808 हे० (317 पौधे) अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रावकलन

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. रेंज का नाम | बाराबंकी |
| 2. रोपण क्षेत्र का नाम | जैदपुर वन ब्लाक |
| 3. क्षेत्रफल | 0.063404 x 2 = 0.126808 हे० |
| 4. श्रमिक दिवस | 230 / - प्रति मानव दिवस |
| 5. भूमि का प्रकार | ऊसर |
| 6. रोपित किये जाने वाले कुल पौधों की संख्या | 317 पौध |

प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	1	59.78	59.78
2	रोपण क्षेत्र की सफाई	1	471.45	471.45
3	गड्ढों का पक्कि बन्धन	317.00	0.38	120.46
4	गड्ढा खुदान (0.60ग0.60ग0.60) मी०	317.00	17.22	5458.74
5	गड्ढों के क्रैन्ड में आगर द्वारा 23 सेमी० व्यास तथा 75 सेमी० गहरा गड्ढा खुदान (किराये के ट्रैक्टर से)	317.00	5.27	1670.59
6	ऊसर भूमि हेतु जिप्सम व बालू का क्रय तथा ढुलान	317.00	8.00	2536.00
7	आर० सी० सी० खम्भों का मूल्य कर सहित (0.15 x 0.10 x 1.80)	85.00	404.00	34340.00
8	कांटेदार तार का मूल्य (200 रनिंग मीटर प्रति हे० घेरवार के आधार पर 5 लड़ में) (प्रति टन)	0.12	84892.00	10187.04
9	अन्य व्यय	एक मुस्त	900.00	900.00
	योग-			55744.06

द्वितीय चरण (वृक्षारोपण कार्य)

1	गड्ढों में कीटनाशक दवा, जिप्सम व बालू मिलाकर गड्ढा भरान	317	1.84	583.28
2	पौधों का मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	327	70.00	22890.00
3	पौध ढुलान (10 किमी० से 20 किमी० तक)	327	20.10	6572.70
4	पौधों का स्थानीय ढुलान	327	6.82	2230.14
5	पौधरोपण व थाला बनवायी व तुरन्त सिंचाई	317	6.44	2041.48
6	निराई गुड़ाई 2 बार	634	1.48	938.32
7	सिंचाई 12 बार	3804	1.26	4793.04
8	रासायनिक उर्वरक 1 बार	एक मुस्त	700.00	700.00
9	आर० सी० सी० खम्भों ग्राउटिंग (6:3:1 सीमेन्ट कंक्रीट)	85	225.13	19136.05
10	खम्भों का स्थानीय ढुलान	85	4.32	367.20
11	तार की खिचाई (रनिंग मी०)	1000	1.12	1120.00
12	सुरक्षा श्रमिक	52	230.00	11960.00
13	अन्य व्यय	एक मुस्त	900.00	900.00
	योग:-			74232.21

तृतीय चरण (प्रथम अनुरक्षण)				
क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	3804	1.26	4793.04
2	निराई गुड़ाई 3 बार	951	1.48	1407.48
3	रासायनिक उर्वरक 1 बार	एक मुस्त	600	600.00
4	सुरक्षा श्रमिक	52	230	11960.00
5	अन्य व्यय	एक मुस्त	900	900.00
	योग:-			19660.52

चतुर्थ चरण (द्वितीय अनुरक्षण)				
1	पौधों की सिंचाई 4 बार	1268	1.26	1597.68
2	निराई गुड़ाई 1 बार	317	1.48	469.16
3	सुरक्षा श्रमिक	26	230	5980.00
4	अन्य व्यय	एक मुस्त	600	600.00
	योग:-			8646.84

पंचम चरण (तृतीय अनुरक्षण)				
1	पौधों की सिंचाई 4 बार	1268	1.26	1597.68
2	निराई गुड़ाई 1 बार	317	1.48	469.16
3	सुरक्षा श्रमिक	26	230	5980.00
4	अन्य व्यय	एक मुस्त	600	600.00
	योग:-			8646.84

छठा चरण (चतुर्थ अनुरक्षण)				
1	पौधों की सिंचाई 4 बार	1268	1.26	1597.68
2	निराई गुड़ाई 1 बार	317	1.48	469.16
3	सुरक्षा श्रमिक	26	230	5980.00
4	अन्य व्यय	एक मुस्त	600	600.00
	योग:-			8646.84

सप्तम चरण (पंचम अनुरक्षण)				
1	पौधों की सिंचाई 4 बार	1268	1.26	1597.68
2	निराई गुड़ाई 1 बार	317	1.48	469.16
3	सुरक्षा श्रमिक	26	230	5980.00
4	अन्य व्यय	एक मुस्त	600	600.00
	योग:-			8646.84

अष्टम चरण (छठा अनुरक्षण)				
1	पौधों की सिंचाई 4 बार	1268	1.26	1597.68
2	निराई गुड़ाई 1 बार	317	1.48	469.16
3	सुरक्षा श्रमिक	26	230	5980.00
4	अन्य व्यय	एक मुस्त	600	600.00
	योग:-			8646.84

नवम चरण (सप्तम अनुरक्षण)				
1	पौधों की सिंचाई 4 बार	1268	1.26	1597.68
2	निराई गुड़ाई 1 बार	317	1.48	469.16
3	सुरक्षा श्रमिक	26	230	5980.00
4	अन्य व्यय	एक मुस्त	600	600.00
	योग:-			8646.84

दशम चरण (अष्टम अनुरक्षण)

1	पौधो की सिंचाई 4 बार	1268	1.26	1597.68
2	निराई गुड़ाई 1 बार	317	1.48	469.16
3	अन्य व्यय	एक मुस्त	600	600.00
	योग:-			2666.84

ग्राहवा चरण (नवम अनुरक्षण)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5
1	पौधो की सिंचाई 4 बार	1268	1.26	1597.68
2	निराई गुड़ाई 1 बार	317	1.48	469.16
3	अन्य व्यय	एक मुस्त	600	600.00
	योग:-			2666.84

बराहवा चरण (दशम अनुरक्षण)

1	पौधो की सिंचाई 4 बार	1268	1.26	1597.68
2	निराई गुड़ाई 1 बार	317	1.48	469.16
3	अन्य व्यय	एक मुस्त	600	600.00
	योग:-			2666.84

सारांश Cost Escilation सहित

क्र० सं०	चरण	वर्ष 2023 में लागू अनुसूचित दर के आधार पर	यदि कार्य वर्ष 2023-24 में प्रारम्भ किया जाता है तो भविष्य में अनुमानित न्यूनतम वृद्धि 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की धनराशि	वृद्धि 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी सहित कुल धनराशि
1.	प्रथम चरण	55744.06	0.00	55744.06
2.	द्वितीय चरण	74232.21	7423.22	81655.43
3.	तृतीय चरण	19660.52	3932.10	23592.62
4.	चतुर्थ चरण	8646.84	2594.05	11240.89
5.	पंचम चरण	8646.84	3458.74	12105.58
6.	षट्म चरण	8646.84	4323.42	12970.26
7.	सप्तम चरण	8646.84	5188.10	13834.94
8.	अष्टम चरण	8646.84	6052.79	14699.63
9.	नवम चरण	8646.84	6917.47	15564.31
10.	दशम चरण	2666.84	2400.16	5067.00
11.	ग्राहवा चरण	2666.84	2666.84	5333.68
12.	बराहवा चरण	2666.84	2933.52	5600.36
	योग-	209518.35	47890.42	257408.77
	या-			257409.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बाराबंकी रेंज

उप प्रभागीय वन अधिकारी
बाराबंकी, उप वन प्रभाग
बाराबंकी

प्रभागीय वन अधिकारी
बाराबंकी वन प्रभाग
बाराबंकी

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत लखनऊ-अयोध्या मार्ग पर किमी० 18.00-19.00 मे मध्य दायी पटरी पर शेरुड कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी धरसनियों बराबंकी द्वारा कालेज में प्रवेश हेतु आने जाने के मार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित 0.063404 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal No.-FP/UP/ Others/29655/2017

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत लखनऊ-अयोध्या मार्ग पर किमी० 18.00-19.00 मे मध्य दायी पटरी पर शेरुड कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी धरसनियों बराबंकी द्वारा कालेज में प्रवेश हेतु आने जाने के मार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित 0.063404 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक 8बी०/यू०पी०/०६/६८/२०२१/एफ०सी०/४८८ दिनांक 17.01.2024 से सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है। भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में शर्त संख्या ८ के अनुपालन में दण्डात्मक धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार है:-

उल्लंघन का वर्ष	2008
उल्लंघन करने का क्षेत्रफल	0.063404 ha.
एन०पी०वी०	0.063404×957780 $= 60727.08$
अथवा:-	60727
भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में बिन्दु संख्या 5 के कम अनुसार Five Times NPV	60727×5 $= 303635$
वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के उल्लंघन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या के पैरा B-(I) के अनुसार 12 प्रतिशत सरल इन्ट्रेस्ट की धनराशि (एक वर्ष का दण्डात्मक धनराशि)	$303635 \times 12 / 100$ $= 36436.2$
(उल्लंघन वर्ष से वर्तमान वर्ष तक की दण्डात्मक धनराशि)	$36436.2 \times 16 = 582979.2$
कुल दण्डात्मक एन०पी०वी० धनराशि	8,86,614.2
अथवा-	8,86,614.00


क्षेत्रीय वन अधिकारी,
बाराबंकी रेंज


(वरुण प्रताप सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
बाराबंकी


(आकाश दीप बघावन)
प्रभागीय वनाधिकारी
बाराबंकी वन प्रभाग, बाराबंकी।



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimoe@nic.in, goimoe@nic.in@gmail.com

पत्र सं० : 8वीं/यू०पी०/०६/६८/२०२१/एफ.सी./५०६

दिनांक : 17.01.2024

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Others/29655/2017

विषय: जनपद बाराबंकी में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त शेरवुड कालेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी के मार्ग निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के Ex-post Facto के अन्तर्गत लखनऊ-फैजाबाद मार्ग पर किमी० 18-19 के मध्य दांयी पटरी पर 0.063404 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक 2294/81-2-2023-800(02)/2021, दिनांक 16.03.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-5/81-2-2020-800(02)/2021, दिनांक 18.02.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयार्थित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण को दिनांक 08.11.2023 को आहूत की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 11.1-UP) शामिल किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) के निर्णयानुसार प्रकरण को स्वीकृति हेतु मंत्रालय प्रेषित किया गया था, जिसपर मंत्रालय, नई दिल्ली ने प्रकरण को स्वीकृति प्रदान की है। मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बाराबंकी में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त शेरवुड कालेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी के मार्ग निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के Ex-post Facto के अन्तर्गत लखनऊ-फैजाबाद मार्ग पर किमी० 18-19 के मध्य दांयी पटरी पर 0.063404 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 0.126808 ha. Degraded Forest Land in Jaidpur Forest Block, Tehsil Nawabganj, District Barabanki at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.063404 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.

Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.

5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
6. DFO to be authorized to file a case in competent court for violation of FCA as per MoEF&CC guidelines dated 15.05.2023.
7. Action should be initiated against forest officials for not being able to prevent use of forest land for non forestry purpose without prior approval of Central Govt., and status report be submitted by Govt. of UP within 15 days.
8. 5 time penal NPV since date of violation will be applicable.
9. Disciplinary against the erring staff will be completed before issuance of State-ii in the matter.
10. Separator island has to be maintained as Green Belt, in consultation with DFO. Green belt plan on separator island shall be approved by DFO, ensuring appropriate site specific species. Green belt plan shall also include species to be planted on the periphery of retail outlets and service road, if applicable. Green plan in respect of Separator island/entry & exit /service road as applicable and duly approved by DFO be submitted along with compliance report.
11. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
12. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
13. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
14. No labour camp shall be established on the forest land.
15. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
16. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
17. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
19. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
21. The KML file of area proposed for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.
22. The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO)/Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Forest (Conservation) Act, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such

person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.

23. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
24. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
25. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
26. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीय,

(डॉ० प्रणय मिश्रा)
सहायक वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बाराबंकी।
4. निदेशक, शेरवुड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी, धरसनिया, जनपद-बाराबंकी।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्रणय मिश्रा)
सहायक वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 1998 /11-सी-FP/UP/Others/29655/2017, लखनऊ, दिनांक: फरवरी ०७, 2024

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा०, सरयू वृत्त, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के कम में, प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, परिवेश पोर्टल के माध्यम से जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित अभिलेखों सहित ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करके ऑनलाइन उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बाराबंकी को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के कम में, प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, परिवेश पोर्टल के माध्यम से जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित अभिलेखों सहित ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करके ऑनलाइन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- निदेशक, शेरवुड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी, धरसनिया, जनपद-बाराबंकी को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अनुपालन आख्या सम्बन्धित अभिलेखों सहित ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।